DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 2 सितंबर 2022

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

रेरा बनने के 6 साल बाद डीडीए के 18 प्रोजेक्ट हुए इसमें रजिस्टर्ड

रेरा ने देरी के लिए डीडीए के सभी प्रोजेक्टों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) के गठन के छह साल बाद डीडीए के 18 प्रोजेक्ट्स रेरा में रजिस्टर्ड हो गए हैं। इसके साथ ही रेरा और डीडीए के बीच पिछले कुछ सालों से चल रहे विवाद का भी अंत हो गया है। देरी से आवेदन करने पर इन सभी प्रोजेक्ट्स पर रेरा ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जबकि कई प्रोजेक्ट के डाक्युमेंट्स समय पर जमा न करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है।

रेरा के चेयरमैन आनंद कुमार के अनुसार, डीडीए ने अपने 18 प्रोजेक्ट को रेरा से रजिस्टर्ड करवा लिया है। इसका लाभ अब लोगों को मिलेगा। डीडीए ने 2019 में 14 प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था। इसके लिए रेरा ने कुछ डाक्युमेंट्स की मांग की थी। डीडीए के रजिस्ट्रेशन करवाने से अब रियल एस्टेट मार्केट में पारदर्शिता बढ़ेगी। अन्य एजेंसी भी अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करवाने के लिए प्रेरित होंगी।

बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए रेरा दिल्ली का गजट नोटिफिकेशन नवंबर-2016 में हुआ था। नवंबर-2018 तक रेरा

FILE

के चेयरमैन खुद डीडीए के वाइस चेयरमैन ही होते थे। इसके बावजूद डीडीए ने अपने किसी प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्ट्रर्ड नहीं करवाया। इसके चलते दूसरे विभाग भी रेरा में अपने प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर्ड करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। दिसंबर-2021 में रेरा ने आदेश दिया कि डीडीए के फ्लैट्स खरीदने वाले लोगों के हितों को देखते हुए डीडीए को अपने प्रोजेक्ट्स रेरा में रजिस्टर्ड करवाने होंगे। इसके बाद डीडीए ने इस आदेश को लेकर एक अपील दायर कर दी। इस मामले में सुनवाई चल ही रही थी कि डीडीए ने रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया। 2019 में डीडीए ने 14 प्रोजेक्ट्स के लिए आवेदन किया। इन प्रोजेक्ट्स में रेरा ने डीडीए से कुछ डाक्युमेंट्स की मांग की।

डीडीए का तर्क था कि डीडीए के फ्लैट्स बनाने में पूरी लागत डीडीए ही खर्च करता है। फ्लैट के लिए प्राइवेट बिल्डरों की तरह पहले से बुकिंग अमाउंट नहीं लिया जाता। फ्लैट तैयार होने के बाद ही हाउसिंग स्कीम के जरिए उन्हें बेचा जाता है। लेकिन इस पर रेरा का जवाब था कि डीडीए जो पैसा लगा रहा है, वह जनता का ही है। साथ ही, यदि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड होंगे और समय पर पूरे होंगे तो इसका लाभ लोगों को ही मिलेगा।

क्या होगा फायदा

रेरा में रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा करने की जवाबदेही रहती है। इससे प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने की गुंजाइश कम होती है। साथ ही यदि फ्लैटों की गुणवत्ता सही नहीं है तो लोग पांच साल तक रेरा में उसकी शिकायत कर सकते हैं।

एस्क्रो अकाउंट से छूट

रेरा ने डीडीए को अलग से एस्क्रो अकाउंट बनाने से छूट दी है। आमतौर पर बिल्डर प्रोजेक्ट में एक एस्क्रो अकाउंट बनाया जाता है और इसमें 70 प्रतिशत तक अमाउंट रखा जाता है।